झारखंड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

संकल्प

विषयः— पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

संविधान की धारा 243 (जी0) की शर्तों के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है, जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने की शक्ति प्रदान कर सके।

(2) उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 75, 76 एवं 77 में क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को अधिकार प्रदान किये गये हैं। परन्तु अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूचित में शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक है।

(3) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित रूप से शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से संबंधित निधि, कार्य एवं कर्मियों (Funds, Functions and Functionaries) के संबंध में मंत्रिपरिषद, झारखण्ड की स्वीकृति उपरांत निम्न रूप से शक्तियों के प्रत्यायोजन का निर्णय लिया गया है :

I	कार्य (Fuuctions)	प्रत्यायोजन स्तर	अभ्युक्ति
	1. कृषि कार्य यथा बीज की आवश्यकता का आकलन एवं वितरण उर्वरक का आकलन एवं वितरण खाद्यान्न अधिप्राप्ति एवं भंडारण, अन्य कृषि उपादानों/उपकरणों का वितरण एवं अन्य कृषि कार्यों के सफल कार्यान्वयन का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण।	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद	
	2. कृषि कार्यों के सफल कार्यान्वयन हेतु सुपात्र लाभान्वितों का चयन करना।	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद	
	3. कृषकों को कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं किसान क्रेडिट कार्ड वितरण इत्यादि।	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद	
	4. जिला/प्रखण्ड/पंचायत स्तरीय प्रचार प्रसार/प्रदर्शनी/कार्यशालाओं इत्यादि का सफल आयोजन कराना।	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद	
	5. कृषक को फसल बीमा कराने हेतु प्रेरित करना तथा उसका भुगतान सुनिश्चित कराना।	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद	

II	कर्मी (Functionaries)	विवरणी	प्रत्यायोजन स्तर	अभ्युक्ति
	1. जनसेवकों की नियुक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण, अन्तः प्रखण्ड स्थानान्तरण, सभी प्रकार के अवकाश, वार्षिक चारित्रिक अभियुक्ति लेखन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।	नियुक्ति	जिला परिषद	जिला संवर्ग के नियुक्त कर्मी
		प्रशासनिक नियंत्रण	पंचायत समिति	
		अन्तः प्रखण्ड स्थानान्तरण	जिला परिषद	
		अंतर्पंचायत स्थानांतरण	पंचायत समिति	
		सभी प्रकार के अवकाश	पंचायत समिति	
		वार्षिक चारित्रिक अभियुक्ति लेखन	पंचायत समिति/ जिला परिषद	
		अनुशासनात्मक कार्रवाई	जिला परिषद	
	2. प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों का प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश एवं वार्षिक चारित्रिक अभियुक्ति लेखन का कार्य।	प्रशासनिक नियंत्रण	जिला परिषद/ पंचायत समिति	कृषि निदेशक स्तर से नियुक्ति
		आकस्मिक अवकाश	पंचायत समिति	
		वार्षिक चारित्रिक अभियुक्ति लेखन	जिला परिषद	
	3. जिला कृषि पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं आकस्मिक अवकाश	प्रशासनिक नियंत्रण	जिला परिषद	विभागीय स्तर से नियुक्ति
		आकस्मिक अवकाश	जिला परिषद	

III	निधि (Fund)	प्रत्यायोजन स्तर	अभ्युक्ति
	1. सभी तरह के बीज अनुदान की निधि	जिला परिषद	यदि किसी जिले में अनुदान/अन्य राशि की विमुक्ति में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो विभागीय अनुमोदनोपरांत राज्य स्तरीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिले में अनुदान/अन्य राशि की विमुक्ति हेतु समुचित निदेश दिए जाएँगे ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति बाधित नहीं हो।
	2. कृषि यंत्र एवं उपकरण अनुदान की निधि	जिला परिषद	
	3. माईक्रो इरिगेशन उपकरण अनुदान की निधि	जिला परिषद	
	4. कृषि से संबंधित अन्य देय अनुदान की निधि	जिला परिषद	
	5. प्रचार प्रसार/कार्यशाला/सेमिनार/कृषि मेला इत्यादि का आयोजन करने की निधि	जिला परिषद/ पंचायत समिति	

3. यदि उपर्युक्त कंडिका (2) में वर्णित शक्तियों के प्रत्यायोजन उपरांत यदि किसी जिले में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो विभाग की ऐसी समस्याओं के निराकरण एवं आवश्यक निदेश दिए जाने की सर्वोच्च शक्ति (overriding power) अक्षुण्ण रहेगी ताकि उपर्युक्त प्रत्यायोजन से सही परिप्रेक्ष्य (right spirit) में परिणाम हासिल किए जा सकें।

4. उपर्युक्त क्रम में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के उपयोग में झारखंड वित्त नियमावली के नियमों एवं समय-समय पर इस परिप्रेक्ष्य में निर्गत पत्र, परिपत्र, संकल्प, आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20.10.12

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- उप/नि-219/2001 (पार्ट-I) 3172 रांची, दिनांक- 25-10-12

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं उसकी 35 प्रतियाँ इस विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित।

20.10.12
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- उप/नि-219/2001 (पार्ट-I) 3172 रांची, दिनांक- 25-10-12

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव एवं विभागाध्यक्ष/निदेशक कृषि/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक उद्यान/निदेशक समेति/मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना/निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.12
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- उप/नि-219/2001 (पार्ट-I) 3172 रांची, दिनांक- 25-10-12

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.12
सरकार के सचिव।